न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 192/2024

अनवान : –

1. मानसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
2. नाबालिग जसनप्रीतसिंह पुत्र गुरमीतसिंह जरिये संरक्षक माता सर्वजीतकौर पत्नी गुरमीतसिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. सुखचैन सिंह पुत्र गुरदीप सिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नेाहर।
2. कमलजीतकौर पत्नी सुखचैनसिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
3. कुलदीपसिंह पुत्र निर्मलसिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
4. हर्षदीपसिंह पुत्र निर्मलसिंह जाति जटसिख निवासी खोपड़ा तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: -22/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 51/51 के ख0न0 262/101 की 1.0120 हैक्ट पूर्वी दिशा की सायल स0 1 को अपने ताउ गुरदीप पुत्र साधुसिंह जाति जटसिख साकिन खोपड़ा तहसील नोहर से दिनांक 13.03.2023 को जरिये दानपत्र मिली है तथा रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 140/17 ख0न0 261/101 की 1.0110 हैक्ट पश्चिमी दिशा की सायल स0 2 को अपने दादा गुरदीपसिंह पुत्र साधुसिंह से दिनांक 13.03.2023 को जरिये दानपत्र मिली है। दानपत्र में लिखे गये आसा पासा के अनुसार सायलान अपने हिस्सा की भूमि के अकेले खातेदार काश्तकार है।

वादग्रस्त भूमि सायल संख्या 1 व 2 के कब्जा काश्त में है तथा इस वर्ष बरसात होने पर खेत को सायलान संख्या 1 व 2 को काश्त नही करने देने के लिए गैरसायलान ने एक गिरोह बना रखा है तथा जबरदस्ती उक्त भूमि में से पेड़ काट कर ले गये एवं सायलान को काश्त नही करने दे रहे है। अगर गैरसालान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति सायलान को होगी। अतः गैरस[illegible] जावे की सायलान की कब्जा काश्त की भूमि में दखअन्दाजी न करे एवं सायलान को [illegible] से न रोके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आशय का पेश किया की दानपात्र गैरसायल संख्या 1 के पिता ने सायलान के नाम सायलान के कब्जा काश्त की भूमि करवाया जाना था जो कि खसरा नं. 99/1 के मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 1.012 है0 भूमि मानसिंह सायल संख्या 1 के नाम व मिन पूर्व की 1.011 है0 भूमि सायल संख्या 2 के नाम दर्ज करवानी थी। गैरसायल संख्या 1 पिता गुरमीत सिंह वयोवृद्ध 89 वर्षीय व्यक्ति है। जिसकी बजाये सायलान ने इस भूमि के उत्तर दिशा में साथ चिपती हुई भूमि जो कि खसरा नं. 101/3 में से दर्ज करवा ली जिसका दावा न्यायालय हाजा में जैरकार है। खसरा नं. 262/1 की 1.012 है0 व खसरा नं'. 261/1 की 1.011 है0 भूमि जो कि दान पात्र की रूह से पेपर ट्रांसफर हुए ना कि भूमि सायलान दान से प्राप्त हुई है। गुरदीपसिंह बनाम मानसिंह दावा के जवाब में सायलान ने स्वयं गैरसायलान का कब्जा होना स्वीकार किया है। प्रार्थना पत्र तथ्यों को छिपाते हुए राजस्व रिकार्ड में सहवन दर्ज हुई भूमि को अपने कब्जा में लेने में लेकर हड़पने की नियत से पेश किया गया है जो कि क्लीन हैण्ड नहीं होने के कारण से खारीज योग्य है। दावा व प्रार्थना पत्र. की आड़ में जिस भूमि पर स्थगन चाहा है व सायलान के कब्जा काश्त में कभी नहीं रही है जिस का दान खसरा नं. 99/1 के मिन दक्षिण की 2.023 है0 भूमि में से मिन पश्चिम की 1.012 है0 भूमि मानसिंह सायल संख्या 1 के नाम व मिन पूर्व की 1.011 है0 भूमि सायल संख्या 2 के नाम दर्ज होनी थी उसी का कब्जा काश्त गैरसायलान को संभला दिया गया है और उस पर सायलान की फसल काश्त की हुई है। खसरा नं. 101/3 जो कि बावजह तरमीम खसरा नं. 261/101 की 1.011 है0 भूमि व खसर नं. 262/101 की 1.012 है0 भूमि कायम हुई है उससे सायलान का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है जिस पर स्थगन लेकर सायलान गैरसायल संख्या 1 के पिता के नाम से घोषणात्मक दावा जैरकार है उसे देरीना करना चाहते है इसलिए प्रार्थना पत्र क्लीन हैण्ड नहीं होने के कारण खारीज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि अन्य तथ्य मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती हैं?

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि मे हमारा कब्जा है तथा गैरसायल हमारे कब्जा काश्त में दाखिल होना चाहते है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान के नाम दर्ज है। सायलान को यह वाद भूमि जरिये दानपत्र प्राप्त हुई है। अगर गैरसायलान द्वारा सायलान के कब्जा काश्त में दखल दिया जा रहा है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थीगण को। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:05 IST
Reason: Self Attested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 51/15 के ख0न0 262/101 की 1.0120 हैक्ट व रोही मौजा खोपड़ा तहसील नोहर के खाता स0 140/17 के ख0न0 261/101 की 1.0110 हैक्ट भूमि में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक सायलान के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी न करे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:11:05 IST
Reason: SelfAttested